न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 32 / 2018 जिला सीकर

1. मिश्री देवी झूंथाराम आयु 50 वर्ष
2. सागरमल पुत्र झूंथाराम आयु 30 वर्ष
3. रामलाल पुत्र झूंथाराम आयु 28 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासीगण ढाणी हिमत्यावाली छोटा गुढा तन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थन)
2. भूमिधारी तहसीलदार, कार्यालय श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
3. पटवारी हल्का, पटवार भवन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
दिनांक 10.7.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –13.11.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.7.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.6.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि ग्रम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2399, 2400, 2390, 2387, 2384, 2385, 2379, 2376, 2374, 2373 2332 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 10.7.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व / 16 / 2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के

आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे ।

क.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्रम	खसरा नं.	रकबा	रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है ।
1	सरगोठ	सरगोठ	2399	0.39 हैक्टर	0.0280 हैक्टर
			2400	0.46 हैक्टर	0.0240 हैक्टर
			2390	0.22 हैक्टर	0.0200 हैक्टर
			2387	1.85 हैक्टर	0.0800 हैक्टर
			2384	1.29 हैक्टर	0.0640 हैक्टर
			2385	0.36 हैक्टर	0.0280 हैक्टर
			2379	1.76 हैक्टर	0.0520 हैक्टर
			2376	3.63 हैक्टर	0.0800 हैक्टर
			2374	0.07 हैक्टर	0.0320 हैक्टर
			2373	0.52 हैक्टर	0.0480 हैक्टर
			2332	5.61 हैक्टर	0.0560 हैक्टर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय 17.5.2018 निरस्त किये जाने तथा उक्त आदेश की पालना में की गयी समस्त कार्यवाही निरस्त फरमाते हुये पूर्व की स्थिति कायम करन के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है तथा ना ही आमजन के लिये कोई प्रचलित रास्ता ही है । गैर मुमकीन रास्ते का प्रस्ताव वर्तमान सरपंच के प्रभाव में आकर सरपंच द्वारा अपने चहेते व्यक्तियों को लाभ पहुॅचाने के लिये जबरन अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उप खण्ड अधिकारी को भिजवाये हैं । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदन नहीं किया , जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में

हितबद्ध व्यक्तियों को बिना सुने उनके अधिकारों के खिलाफ पारित आदेश विधि विरूद्ध है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विधिवत नोटिस तामिल नहीं करवा कर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है । उनका कहना था कि अपीलान्स एवं दीगर व्यक्तियों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2376, 2373 एवं 2374 है, जिनके खातेदारों को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर उनकी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने एवं उक्त आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में की गई समस्त कार्यवाही निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सरगोठ में प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू स्थिति है । ग्राम सरगोठ की ढाणी खारियां से ग्राम नागल की सीमा तक कच्चा रास्ता चालू होने से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव भिजवाये थे, जिन्हें तसीलदार द्वारा प्रस्तावति रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा मय नक्शा ट्रेस उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट घोषणा के परिपेक्ष में एवं राजस्व विभाग के परिपत्र तथा जिला कलक्टर सीकर के पत्रादि की पालना में तसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के अनुसार आम जन की सुविधा के लिये गैर मुमकीन रास्ता कायम करने अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं । उनका कहना था कि रास्ता आम जन के आने जाने के लिये उपयुक्त रहेगा तथा कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता जनहित में सार्वजनिक रास्ता है । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसमयक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्र
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर नम्बर 2376, 2373 एवं 2374 में से उन्हें बिना सुने एवं विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के खातेदारों के जारी नोटिसों पर क्रमशः ''सरपंच साहब ने प्राप्त की'', ''भाई ने प्राप्त की'', ''बेटे ने प्राप्त की'', ''भतीजे ने प्राप्त की'' ,''पोते ने प्राप्त की'', अंकित किया हुआ है , जो विधिवत तामिल की श्रेणी में नहीं है । हम समझते हैं कि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को उचित एवं विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व उनके नोटिस विधिवत तामिल कराये बिना

अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है , जो उचित एवं विधिक नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स जो कि हितबद्ध पक्षकार है, को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनाक 10.7.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम सरगोठ आराजी खसरा नम्बर 2376, 2373 एवं 2374 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 13.11.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर